



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032024-252836  
CG-DL-E-11032024-252836

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]  
No. 168]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

फा. सं. पीएनजीआरबी/वित्त/9-गैस वि.(2)/2021 खंड-IV (पार्ट फाइल-2)(इ-4950).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (जेडए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020, में संशोधन करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

## 1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, इसमें अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

## 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 में, -

(क) विनियम 21 में "समाशोधन निगम पर लागू होंगे, ....." शब्दों के बाद और "सिवाय उनके जिन्हें इन विनियमों में विशेष रूप से निपटाया जाएगा। "शब्दों से पहले "जैसा भी लागू हो", शब्द जोड़े जाएंगे;

(ख) विनियम 24 में, उप-विनियम 2 का खंड (i) लोप हो जाएगा और इसे "\*\*\*\*" के रूप में पढ़ा जाएगा;

(ग) विनियम 26 के उप-विनियम (4) में, "स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए" शब्दों के बाद और "की सिफारिश करेगी" शब्दों से पहले "पैनल" शब्द को "नाम" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(घ) विनियम 31 के उप-विनियम (1) में, "गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन पर लागू होंगे शब्दों के बाद" और "सिवाय उनके जिनका विशेऱुष रूप से इन नियमों में निपटान किया जाना है" शब्दों से पहले "जैसा लागू हो" शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(ङ) विनियम 34 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) में, "31 मई" शब्दों के स्थान पर "30 जून" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(च) विनियम 40 के उप-विनियम (3) के खंड (ii) में;

i. "सकल ....." शब्द के बाद और " राजस्व का कुल योग" शब्दों से पहले, "परिचालन" शब्द जोड़ा जाएगा;

ii. विनियम 40 के अंत में, निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा: –

"सकल राजस्व से सकल परिचालन राजस्व की गणना के लिए निम्नलिखित राजस्व शीर्षों को बाहर रखा जाएगा:

क) शेयरधारकों की निधि पर आय

ख) निपटान गारंटी निधि पर आय

ग) कोई अन्य राजस्व जो विनियम के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए"

(छ) विनियम 40 में उप-विनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) एसजीएफ फंड पर अर्जित आय का उपयोग गैस एक्सचेंज द्वारा (क) एसजीएफ फंड के लिए बीमा प्रीमियम और (ख) गैस बाजार विकास गतिविधियों के भुगतान के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाए:

i. वित्तीय वर्ष के दौरान एसजीएफ कॉर्पस पर अर्जित आय का 70% या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान अनिवार्य प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु आबंटित किया जाएगा और शेष को एसजीएफ कॉर्पस में रखा जाएगा।

ii. तथापि, आगामी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य उद्देश्य के लिए आबंटित निधि का

उपयोग न करने की स्थिति में, इसे वापस एसजीएफ को सौंप दिया जाएगा और उपयोग के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी"

(ज) विनियम 43 में, "नकद प्रवाह और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स" शब्दों के बाद नवीनतम द्वारा" और "बोर्ड को हर साल" शब्दों से पहले, शब्द "30 जून" शब्दों को "30 सितम्बर" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा

(झ) अनुसूची 3 में: -

i. खंड 2 के उप खंड (ख) में, "60 दिन" शब्दों को "120 दिनों" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii. खंड 3 के उपखंड (ग) में, "कम से कम सात दिनों का प्रशिक्षण" शब्दों को "बोर्ड में शामिल होने के बाद परिचय कार्यक्रम" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./822/2023-24]

**पाद टिप्पण :** मूल विनियमों को फा.सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/35-गैस वि./2/2020 (पी-1687) दिनांक 28 सितंबर, 2020 द्वारा अधिसूचित किया गया था और 06 मई, 2022 को पीएनजीआरबी/वित्त/9-गैस वि. (2)/2021 (पी-3676) द्वारा संशोधित किया गया था।

## PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2024

**F. No. PNGRB/Fin/9-Gas Ex (2)/2021 Vol-IV (Part File-2) (E-4950).**—In exercise of the powers conferred by clause (za) of sub-section (2) of section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020, namely: -

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Amendment Regulations, 2024.

(2) These regulations, save as otherwise provided therein, shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(a) In Regulation 21 after the words “Clearing Corporation,.....” and before the words “...except those specifically dealt in these Regulations”, the words “as may be applicable,” shall be inserted;

(b) In clause (i) of sub-regulation 2 of Regulation 24, shall be omitted .

(c) In sub-regulation (4) of Regulation 26 the word “panel” shall be substituted with the word “name”;

(d) In sub-regulation (1) of Regulation 31, after the words “Clearing Corporation,” and before the words “...except those specifically dealt in these Regulations.” the words “as may be applicable,” shall be inserted;

(e) In clause (vii) of sub-regulation (1) of Regulation 34, the words “31st May” shall be substituted with the words “30th June”.

(f) In regulation 40 for the sub-regulation (3)(ii);

i. after the words “sum total of the gross.....” and before the words “.....revenue of the Gas Exchange”, the word “operating” shall be inserted;

ii. At the end, the following shall be inserted:-

“Following revenue heads shall be excluded for computing Gross Operating Revenue from Gross Revenue:

a) Income on Shareholders' Funds

b) Income on Settlement Guarantee Fund

c) Any other revenue as may be approved by the Board on the request of the exchange”

(g) In regulation 40 after the sub-regulation (4), following shall be inserted, namely: -

“(4A) The income earned on SGF fund may be utilized by the Gas exchange for paying the (a) insurance premium for the SGF fund and (b) for gas market development activities with following conditions:

i.70% of the income earned on SGF corpus during the financial year or Rs. 5 Crore, whichever is lower shall be allocated for utilization for the mandated purpose during succeeding financial year and balance shall be retained in SGF corpus.

ii. However, in case of non-utilization of the allocated fund for the mandated purpose in the succeeding financial year, the same shall be ploughed back to SGF and shall not be allowed to be carried forward for succeeding financial year for utilisation”

(h) In regulation 43, the words “30th June” shall be substituted with the words “30th September”.

(i) In Schedule 3 for the clause 2(b), the words “60 days” shall be substituted with the words “120 days”.

(j) In sub-clause (c) of clause 3 of Schedule 3, the words “at least seven days of training” shall be substituted with the words “familiarization program after joining of the Board”.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./822/2023-24]

**Foot Note:** The principal regulations were notified vide F. No. PNGRB/Tech/35-GasEx/2/2020 (P-1687), dated the 28th September, 2020 and amended vide PNGRB/Fin/9-Gas Ex (2)/2021 (P-3676) dated 06th May, 2022.